प्रेस नोट,
दिनांक 07.07.2026, थाना को0कर्नलगंज

थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-411/2024, धारा 331(8) बीएनएस थाना को0कर्नलगंज से सम्बन्धित चोरी की घटना में संलिप्त शातिर चोर पिन्टू उर्फ संदीप पुत्र जीवनलाल निवासी ग्राम बौनापुर लोनियनपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री रामू दीक्षित पुत्र श्री दीपनरायन दीक्षित निवासी ग्राम छोटीपुरवा मौजा परसागोण्डरी थाना कर्नलगंज गोण्डा द्वारा थाना को0कर्नलगंज को सूचना दी गई कि दिनांक 10/11.09.2024 की देर रात्रि वह परिवारीजनों के साथ घर के बाहर सो रहे थे कि घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ आहट होने पर टार्च की रोशनी में देखा तीन अज्ञात चोर खड़े है जिनमें से एक व्यक्ति ने फायर कर दिया जो उसके भाई को लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा चोर मौके से फरार हो गये। । उक्त सूचना पर थाना को0 कर्नलगंज पर मु0अ0सं0-411/2024, धारा 331(8) बीएनएस बनाम 03 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम सहित 04 टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्नलगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 21.09.2024 को घटना के सफल अनावरण के क्रम में पुलिस मुठभेड़ में आरोपी 01. बच्चन (मुठभेड़ में घायल) व 02. राजेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 20,000/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर, 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद फायर शुदा कारतूस .12 बोर बरामद किया गया था। तथा अभियुक्त पिन्टू उर्फ संदीप गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था।

आज दिनांक 07.07.2026 को फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त पिन्टू उर्फ संदीप पुत्र जीवनलाल निवासी ग्राम बौनापुर लोनियनपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पिन्टू उर्फ संदीप पुत्र जीवनलाल निवासी ग्राम बौनापुर लोनियनपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

अभियोग-

01. मु0अ0सं0-411/2024, धारा 331(8) बीएनएस थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अखिलेश कुमार मौर्या
02. का0 राजकुमार दूबे
03. रि0का0 सदाराम यादव
04. रि0का0 अशोक

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक- 07.07.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी विवेचना हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक की अध्यक्षता में साइबर सेल टीम गोण्डा द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम, प्रभावी विवेचना, पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने तथा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता एवं व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि हेतु रिजर्व पुलिस लाइन के बहुद्देशिय हाल में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनपद के विवेचक, थानों पर नियुक्त साइबर नोडल अधिकारी, साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुलिसकर्मियों सहित अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप, अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नवीन तरीकों तथा उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।प्रशिक्षण के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले अपराध, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, मॉर्फिंग, अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, डिजिटल सेक्सटॉर्शन, बच्चों के विरुद्ध ऑनलाइन यौन शोषण, ऑनलाइन गेमिंग एवं सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराध, वित्तीय साइबर धोखाधड़ी तथा अन्य साइबर अपराधों की पहचान एवं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930, डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण एवं संकलन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विधिसम्मत जब्ती, तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण, बैंक खातों एवं डिजिटल वॉलेट में संदिग्ध लेन-देन को समय रहते फ्रीज कराने की प्रक्रिया, साइबर अपराधों की विवेचना के दौरान अपनाई जाने वाली कानूनी एवं तकनीकी कार्यवाही तथा नवीनतम कानूनों एवं दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विभिन्न वास्तविक प्रकरणों के माध्यम से यह भी बताया गया कि साइबर अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस को किस प्रकार त्वरित, संवेदनशील एवं समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके तथा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों में पीड़ित की गोपनीयता बनाए रखने, संवेदनशील व्यवहार अपनाने तथा समयबद्ध विवेचना पूर्ण करने पर विशेष बल दिया गया। जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में आमजन, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, संदिग्ध कॉल, ओटीपी साझा करने, डिजिटल भुगतान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए।

मीडिया सेल, गोण्डा।